मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक : 261 /2719/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 12 फरवरी, 2014

प्रति,

आयुक्त
कोष एवं लेखा
पर्यावास भवन, भोपाल

विषय- शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक/शिक्षकों को जिनको क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त होने के पश्चात् पदोन्नत निम्न वेतनमान पर होने से क्रमोन्नत/वेतनमान देने में आने वाली रूकावटों को दूर करने के संबंध में ।

संदर्भ- संचालनालय कोष एवं लेखा का अर्ध शास. पत्र क्रमांक /पा दा/98 भोपाल दिनांक 21--5-2013.

विषयान्तर्गत संदर्भित अर्ध. शास. पत्र के क्रम में निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रेषित है :-

(i) ऐसे सहायक शिक्षकों को जिनकी नियमित नियुक्ति दिनांक से 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वरिष्ठ/क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिया गया है और उनकी पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है तो भी 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने क बाद पात्रता होने की स्थिति में उन्हें दूसरे क्रमोन्नत वेतनमान की पात्रता होगी ।

(ii) ऐसे सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता जिसे सेवाकाल में दो क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त हो चुके हैं की पदोन्नति ऐसे वेतनमान में होती है जो क्रमोन्नत वेतनमान से निम्न वेतनमान है को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 29-8-1997 के अनुसार सहायक शिक्षक/शिक्षक/व्याख्याता वही वेतनमान प्रतिधारित करेगा जो पदोन्नति से पूर्व क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त कर रहा है ।

2/ उपरोक्तानुसार समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/संभागीय पेंशन कार्यालयो में लंबित प्रकरणों में कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का अनुरोध है ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश

पृ.क्र. मा.द. / जब.सं. / 2013 /107 भोपाल दिनांक 4-3-2014

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश ।
3. समस्त संभागीय /जिला पेंशन अधिकारी म.प्र. ।
4. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार शासन द्वारा दिये गये मार्गदर्शन अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें ।

4/3/14
(आर.एस.चौहान)
अपर संचालक